राजस्थान सरकार
कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर

क्रमांकः–प.5(202)निकृवि/आवंटन/कृ.प्र./14–15 3467 दिनांकः– 28.4.17

संशोधित विज्ञप्ति सूचना संख्या 4/2016–17

कृषि विपणन विभाग द्वारा राज्य की विभिन्न मण्डियों में कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन हेतु भूखण्ड आवंटन के लिये ऑनलाइन आवेदन–पत्र पूर्व विभागीय विज्ञप्ति क्रमांक 37687–88 दिनांक 16.12.16 एवं 41230 दिनांक 19.01.2017 एवं आवेदन से शेष रही मण्डी समितियों में विज्ञप्ति क्रमांक 49656 दिनांक 24.03.2017 द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। अचल सम्पति आवंटन नीति, 2005 के प्रावधान संख्या 14(ए) में राज्य सरकार के पत्र दिनांक 28.04.17 द्वारा संशोधन किये जाने के कारण दिनांक 11.05.2017 तक पुनः ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है। भूखण्ड आवंटन के लिए पूर्ण विवरण कृषि विपणन निदेशालय की वेबसाईट agriculture.rajasthan.gov.in/mandi पर उपलब्ध है। आवेदन करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन का प्रिन्ट, आवश्यक दस्तावेज, फार्म की कीमत का डिमाण्ड ड्राफ्ट राशि रूपये पांच हजार रूपये एवं अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट (परियोजना लागत का 1 प्रतिशत या दस लाख रूपये जो भी कम हो,) जो सचिव राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के नाम से जयपुर में देय हो, दिनांक 15.05.2017 तक निदेशक, कृषि विपणन निदेशालय, पंत कृषि भवन जयपुर में दस्ती अथवा स्पीड पोस्ट से जमा कराने होगें। पूर्व में किये गये आवेदनों में से कोई आवेदक अपना आवेदन प्रत्याहरित करना चाहे तो लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवेदन प्रत्याहरित कर सकेगा।

डाक अथवा किसी अन्य कारण से हुए विलम्ब के लिए निदेशालय जिम्मेदार नही होगा। अन्तिम तिथी को यदि किसी कारणवश राजकीय अवकाश घोषित कर दिया जाता है तब अगला कार्यदिवस अन्तिम तिथि समझा जावेगा। भूमि आवंटन हेतू राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा। राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रयोजन हेतु भूमि आवंटन की जा सकेगी। साथ ही राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझे जाने पर भूमि आवंटन हेतु विज्ञप्ति प्रयोजन में परिवर्तन भी किया जा सकेगा।

(दिनेश कुमार यादव)
निदेशक
कृषि विपणन